व मजमे आम रिपोर्ट के अनुसार

रिपोर्ट पटवारी व भू. अ. नि.

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्रानुसार खंगारसिंह के स्थान पर करणसिंह नाम शुद्धिकरण किया जाना उचित है।

01/05/2023

(लिखमाराम)
निरीक्षक भू.अ., वृत्त
तहसील जायल (नागौर)

रिपोर्ट तहसीलदार /नायब तहसीलदार

01-05-23

श्रीमान जी, प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज, पटवारी हल्का सुरपालिया, RLR सुरपालिया की रिपोर्ट एवं संलग्न कर्ते मजमे आम के अनुसार प्रार्थी का सही नाम करणसिंह है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में खंगारसिंह अंकित। अतः पटवारी हल्का सुरपालिया एवं RLR सुरपालिया की रिपोर्ट के आधार पर खाता-खावड़ियाना के खाता सं. 40 में खंगारसिंह के स्थान पर करणसिंह शुद्ध किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.) डेह
जिला नागौर

"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023"

क्र./प्र०गांवो के संग/2023/39 दिनांक 01/05/23

प्रार्थी करणसिंह द्वारा धारा 136 में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं मजमे, पटवारी हल्का सुरपालिया, RLR सुरपालिया व तहसीलदार डेह की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 के तहत मौजा खावड़ियाना के खाता सं. 40 में दर्ज नाम खंगारसिंह पुत्र सवाईसिंह के स्थान पर करणसिंह पुत्र सवाईसिंह शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश आज दि. 01/05/2023 को मजमे आम प्रार्थना पत्र/राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner